(10)

II/निगरानी/सिंगरौली/भू.रा./2018/1620

प्रकरण क्रमांकः– /2018

दिव्यांशु कुमार पाठक पिता हरिगोविन्द पाठक साकिन ढोंगा पेशा खेती तहसील देवसर जिला सिंगरौली (म.प्र) ————— आवेदक / निगरानीकर्ता

बनाम

म.प्र.शासन द्वारा कलेक्टर सिंगरौली ————— अनावेदक / गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी आवेदन आदेश विरूद्ध न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय रीवा श्रृंखला न्यायालय सीधी सिंगरौली के प्रकरण क्रमांक 393 / 2017–18 अपील में पारित आदेश दिनांक 09.01.2018 साथ ही आदेश विरूद्ध न्यायालय कलेक्टर सिंगरौली के प्रकरण क्र. 9 अपील 16–17 आदेश दिनांक 11.12.2017 एवं उपखण्ड अधिकारी देवसर जिला सिंगरौली के प्रकरण क्र.88 / अ–2 / 16–17 में पारित आदेश दिनांक 29.09.2017 से व्यथित होकर प्रस्तुत है।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू–राजस्व संहिता 1959

(14)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक/दो/निग/सिगरोली/भूरा/2018/1620 — विन्ध्याश्री बनाम शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
06-07-18	आवेदक के अधिवक्ता श्रीएस0के0वाजपेई उपस्थित। अनावेदक के अधिवक्ता श्री सिराज कुरेशी उपस्थित हुए उभय पक्ष को कायमी पर सुना गया प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया तथा प्रकरण का अवलोकन किया अपर आयुक्त रीवा व्दारा पारित आलोच्य आदेश दि0 09/01/18 में उल्लिखित किया है कि ललितपुर सिंगरौली न्यू रेल्वे लाईन में प्रस्तावित भूमि के अर्जन की प्रारंभिक अधिसूचना जारी हो जाने के उपरांत प्रभावित भूमि के व्यपवर्तन कार्यवाही किया जाना औतचत्यहीन है इसी तथ्य के आधार पर अपर आयुक्त व्दारा आलौच्य आदेश पारित कर प्रकरण कायमी के बिंदु पर ही समाप्त किया गया है प्रकरण की भूमि रेल्वे लाईन से संबंधित होकर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु उपयोगी है तथा आवेदक ने नोटिफिकेशन के उपरांत व्यपवर्तन चाहा है जो औचित्यहीन है अतः अपर आयुक्त रीवा व्दारा पारित आलोच्य आदेश में किसी प्रकार की अनियमितता व अवैधानिकता प्रतीत नही होती है प्रथमदृष्टया प्रकरण में सुनवाई योग्य पर्याप्त आधार नहीं होने से प्रकरण अग्राहय किया जाता है 6/7/18 सदस्य	